तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स	नम्बर व [illegible] जो इस हु[illegible] में जा[illegible]
26/7/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 9 का बाजदायरी हेतु इस आशय का पेश किया कि मूल पत्रावली दिनांक 02.01.2024 तारीख पेशी नियत थी। उस दिन वकील साहब सिविल माननीय न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा में अन्य प्रकरण में व्यस्त होने के कारण प्रार्थी के वकील साहब माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा में तत्समय उपस्थित नहीं रहे, जिस कारण प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। प्रार्थी व प्रार्थी के वकील साहब ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा में उपस्थित नहीं होने में जानबूझकर भूल नहीं की है, जिसके कारण प्रकरण पुनः नंबर पर नहीं लाया जा सके। उक्त दिनांक को वकील साहब अन्य प्रकरण कल्याण बनाम माणक में पैरवी की है और उपस्थित रहे हैं। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। मूल पत्रावली में 02.01.2024 नियत थी। उस दिन वकील प्रार्थी के माननीय न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा में अन्य प्रकरण में पैरवी किये जाने के कारण न्यायालय हाजा में उपस्थित होना संभव नहीं था। अतः प्रार्थी वकील का बाजदायरी प्रार्थना पत्र अधीन आर्डर 9 रूल 9 को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। [illegible] किया जाता है। [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.07.30 10:40:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी